

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर
अपील संख्या :-140/2014

जसोदा सारड़ा

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 18.07.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रमेन्द्र बोहरा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवंत मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी की ओर से इस अपील में यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी का देहान्त हो चुका है। पूर्व में अपीलार्थी के उत्तराधिकारी को रिकॉर्ड पर लेने के लिए समय चाहा गया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि उन्होंने अपीलार्थी के उत्तराधिकारी को सूचना देकर इस प्रकरण में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए थे, परन्तु उत्तराधिकारी द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं किया गया।
2. अतः अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आज No Instructions plead किया है।
3. चूंकि इस प्रकरण में अपीलार्थी की मृत्यु हो जाने पर उनके उत्तराधिकारी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अतः यह अपील Abate हो जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)